राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध द्वितीय जमानत आवेदन संख्या 9913/2024

गणपत सिंह पुत्र उगम सिंह, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी जालमपुरा कॉलोनी, खंडप, पुलिस थाना समदड़ी, जिला बालोतरा (राजस्थान) (जिला जेल, पाली में बंद) -----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य पी.पी. के माध्यम से ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री भागीरथ राय बिश्नोई

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री श्रवण सिंह, पी.पी.

माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

रिपोर्ट योग्य

06/09/2024

1. पुलिस स्टेशन सिरियारी, जिला पाली में दर्ज एफआईआर संख्या 242/2023 के अनुसरण में गिरफ्तार, याचिकाकर्ता ने उसे जमानत पर रिहा करने के लिए धारा 439 सीआरपीसी (बीएनएसएस, 2023 की धारा 483) के

तहत यह आवेदन दायर किया है। याचिकाकर्ता पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/18 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया है।

2. इससे पहले, आवेदक ने पहली जमानत याचिका दायर करके जमानत प्राप्त करने का प्रयास किया था, जिसे मामले की योग्यता पर विचार किए बिना निपटाया गया था क्योंकि इस पर जोर नहीं दिया गया था। अब जब्ती अधिकारी के बयान दर्ज होने के बाद, यह दूसरी जमानत याचिका पेश की गई है।

3. याचिकाकर्ता-आरोपी के खिलाफ आरोप यह है कि 19.10.2023 को पुलिस नाकाबंदी के दौरान, राजस्थान रोडवेज की एक सार्वजनिक परिवहन बस संख्या आरजे-22-पीए-4139 की जांच की गई और 4.530 किलोग्राम जब्त किया गया। बस में यात्रा कर रहे याचिकाकर्ता के पास से एक बैग में से प्रतिबंधित अफीम बरामद की गई।

4. याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया है कि आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, जब्ती अधिकारी महिपाल सिंह (पीडब्लू-1) का बयान पहले ही मुकदमे के दौरान दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने इस गवाह की जिरह के दौरान दिए गए बयान की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया और तर्क दिया कि वर्तमान मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 50 और 52ए के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता निर्दोष व्यक्ति है और उसके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है। उपरोक्त दलीलों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाए और याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।

5. राज्य के विद्वान लोक अभियोजक ने आवेदक के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तुतियों पर कड़ी आपत्ति जताई है और प्रस्तुत किया है कि

आवेदक से बरामद 4.530 किलोग्राम प्रतिबंधित अफीम वाणिज्यिक मात्रा के दायरे में आती है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में निहित प्रतिबंध लागू होते हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि जब्ती और नमूनाकरण प्रक्रिया के अनुरूप था और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा बताई गई कमियों पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है और उन पर केवल परीक्षण के बाद ही निर्णय लिया जाना है। इसलिए, याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

6. मैंने अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री के संदर्भ में प्रतिद्वन्द्वी द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर गहनता से विचार किया है।

7. अभिलेख के अवलोकन तथा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जब्ती अधिकारी महिपाल सिंह (पी.डब्लू.-1) का बयान मुकदमे के दौरान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए (2) और (3) में निम्नानुसार प्रावधान है (2) जहां कोई भी स्वापक औषधि, मन:प्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या वाहन जब्त किया गया है और निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को भेजा गया है, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी स्वापक औषधि, मन:प्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या वाहन की एक सूची तैयार करेगा, जिसमें उनके विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग के तरीके, चिह्न, संख्या या स्वापक औषधि, मन:प्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या वाहन या जिस पैकिंग में उन्हें पैक किया गया है, उत्पत्ति के देश और अन्य विवरण से संबंधित विवरण शामिल होंगे, जिन्हें उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में स्वापक औषधि, मन:प्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ या वाहन की पहचान के लिए प्रासंगिक मान सकता है और किसी भी मजिस्ट्रेट को इस उद्देश्य के लिए आवेदन कर सकता है-

(ए) इस प्रकार तैयार की गई सूची की सत्यता प्रमाणित करना; या (ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी औषधियों, पदार्थों या वाहनों की तस्वीरें लेना और ऐसी तस्वीरों को सत्य प्रमाणित करना; या (ग) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देना और इस प्रकार तैयार किए गए नमूनों की किसी सूची की सत्यता प्रमाणित करना। (3) जहां उपधारा (2) के अधीन आवेदन किया जाता है, मजिस्ट्रेट यथाशीघ्र आवेदन को स्वीकार करेगा।

8. सूची तैयार करने का तात्पर्य बरामद प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची बनाना है। उपरोक्त प्रावधान उस प्रक्रिया को स्थापित करते हैं जिसका पालन जब्ती अधिकारी द्वारा किसी प्रतिबंधित वस्तु को जब्त करने पर किया जाता है। जब्ती के बाद अधिकारी को जब्त प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची तैयार करनी होती है और मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने के तीन उद्देश्य हैं: 1. सूची का प्रमाणन: जब्ती अधिकारी द्वारा तैयार की गई सूची को मजिस्ट्रेट द्वारा सही प्रमाणित करवाना। 2. प्रतिबंधित सामान की फोटो खींचना: मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में प्रतिबंधित सामान या वाहन की फोटो खींचना और उन फोटो को सही प्रमाणित करवाना। 3. नमूना लेना: मजिस्ट्रेट के सामने प्रतिबंधित सामान से प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देना और नमूना लेने की प्रक्रिया को सही प्रमाणित करवाना।

9. उपधारा 3 में प्रावधान है कि जब भी उपधारा 2 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवेदन को जल्द से जल्द स्वीकार करेगा।

10. अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में नमूने न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खुद लिए थे और प्रतिबंधित सामान की सूची भी उनके

द्वारा अपने हस्ताक्षर से तैयार की गई थी। इस सूची को फिर पुलिस अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया, जिससे पता चलता है कि प्रक्रिया पुलिस अधिकारी की देखरेख में की गई थी। यह आवश्यक कानूनी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से गैर-अनुपालन था।

11. वर्तमान मामले में यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता रोडवेज बस में यात्रा कर रहा था, जो एक सार्वजनिक परिवहन है। जब्ती अधिकारी ने याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत तलाशी ली और उस तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद एक बैग से प्रतिबंधित सामान बरामद किया गया। हालांकि, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस जारी करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करती है। सबसे पहले, नोटिस में एक तीसरा विकल्प शामिल था, जो पुलिस अधिकारी को तलाशी लेने की अनुमति देता है, जो अभियोजन पक्ष के मामले में समस्या पैदा कर सकता है। इसके अलावा, दिए गए किसी भी विकल्प के लिए याचिकाकर्ता से कोई सहमति नहीं ली गई। इसके बजाय, केवल याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर को नोटिस की प्राप्ति के रूप में लिया गया, जो उचित और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुपालन पर सवाल उठाता है। ऐसी प्रक्रिया प्रथम दृष्टया एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत बनाए गए अपवादों को आकर्षित नहीं करेगी।

12. धारा 50 यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी को तलाशी के तरीके के बारे में उसके अधिकारों के बारे में पता हो। इस धारा के अनुसार, व्यक्तिगत तलाशी लेने से पहले, आरोपी को मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प चुनने के अपने अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यह सुरक्षा उपाय व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और पुलिस द्वारा मनमानी या बलपूर्वक कार्रवाई को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

13. वर्तमान मामले में, जब्ती अधिकारी ने अधिनियम की धारा 50 के तहत एक नोटिस जारी किया, लेकिन तलाशी के तरीके के बारे में याचिकाकर्ता से विकल्प प्राप्त करने में विफल रहा। यह प्रक्रियात्मक कमी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभियुक्त से विकल्प प्राप्त करने में विफलता, प्रथम दृष्टया तलाशी को अमान्य बनाती है। अभियुक्त से विकल्प प्राप्त करने में विफलता पूर्वाग्रह की धारणा को जन्म देती है। प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि अभियुक्त को महत्वपूर्ण सुरक्षा से वंचित किया गया था, जो तलाशी के परिणाम को प्रभावित कर सकता था। प्रथम दृष्टया अमान्य तलाशी से प्राप्त साक्ष्य, अदालत में संदिग्ध हो सकते हैं, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो सकता है। प्रक्रियात्मक गैर-अनुपालन तलाशी की वैधता के बारे में संदेह पैदा करता है क्योंकि याचिकाकर्ता के वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। संक्षेप में, प्रक्रियात्मक चूक साक्ष्य यानी जब्त की गई प्रतिबंधित वस्तु की वैधता को कमजोर करती है, जिससे बरी होने या अभियोजन पक्ष के कमजोर होने की संभावना के कारण जमानत का मामला मजबूत हो जाता है। याचिकाकर्ता 19.10.2023 से हिरासत में है, मैं मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहता, बल्कि मेरा विचार है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 की कठोरता विधिवत संतुष्ट है और यह न्यायालय महसूस करता है कि आवेदक के पास अभियोजन पक्ष के मामले पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

14. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद; आवेदक के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क, विशेष रूप से ऊपर वर्णित तथ्य, आवेदक को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए न्यायालय के अनुसार, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 और 52 ए के उल्लंघन का संचयी प्रभाव याचिकाकर्ता को जमानत देने का हकदार बनाता है।

15. परिणामस्वरूप, वर्तमान द्वितीय जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि आरोपी याचिकाकर्ता गणपत सिंह पुत्र उगम सिंह, जिसे पुलिस स्टेशन सिरियारी, जिला पाली में पंजीकृत एफआईआर संख्या 242/2023 के संबंध में गिरफ्तार किया गया है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह विद्वान ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए पर्याप्त राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानत बांड प्रस्तुत करे, जिसमें यह शर्त हो कि वह सुनवाई की सभी तिथियों पर और जब भी बुलाया जाए, उस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। यह आदेश इस शर्त के अधीन है कि आरोपी, अपनी रिहाई के 7 दिनों के भीतर, और जमानत प्रस्तुत करने वाले जमानतदार, अपने सभी बैंक खातों का विवरण, बैंक और शाखा का नाम, शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे, और अपने आधार कार्ड की सुपाठ्य प्रति और साथ ही बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति प्रस्तुत करेंगे, ताकि भविष्य में धारा 446 सीआरपीसी के तहत जुर्माना राशि की वसूली की आवश्यकता होने पर जुर्माना राशि की आसानी से वसूली हो सके।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।